

फारम-VIII-क

कार्यालय नगर परिषद फुलवारी शरीफ

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या-8(4)

23302032900016

आपके आवेदन संख्या-

तिथि

के संदर्भ में

श्री कान्त्यन डेवलपर्स प्रा. लि. संजीव हवन पूरव 3/09/2017 राजेंद्र प्रसाद सिंह

- (क) आवासीय भवन के निर्माण।
(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण।
(ग) भवन के पुनःनिर्माण।
(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन।
(ङ) भवन के उपयोग में परिवर्तन।

हेतु नगर परिषद फुलवारी शरीफ क्षेत्र बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन स्कीम के ...
प्लॉट नं०-1030, खाता नं०-748, तौजी नं०-519.0, थाना नं०-35, मौजा-फुलवारी शरीफ, प्रता-थाना-फुलवारी शरीफ जिला-पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान, केस नं०-22/20.21-22/48-19 है, जिसका निर्माण क्षेत्रफल 1308.278 + 1904.69 m² (ext)

वर्गमीटर एवं 6+4 की स्वीकृति दी जाती है :-

- (क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 779 वर्गमीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।
(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 9.14 मी० चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।
(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।
(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारी/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजन प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद फुलवारी शरीफ आयोजना क्षेत्र में वर्गमीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।
(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उरा भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रह समझी जायेगी।
(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।
(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

For Kantyan Developers

Partner

भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, गविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधिसम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

- (ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमजिले भवन के निर्माण के दौरान ढक कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules), 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (ण) अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017 के अंतर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरांत ही भवन का निर्माण करना होगा।
- (त) अन्य शर्त।

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 एवं बिहार भवन उगविधि, 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

प्रभारी लिपिक
31/03/22

प्रधान लिपिक

कनीय अभियंता
31/03/22

सहायक अभियंता
31/03/2022
Faiza Alam

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ
31/03/2022

ज्ञापांक 567418 दिनांक : 05/04/2022

प्रतिलिपि :- मेसर्स/श्री/श्रीमति श्री कात्यायन डेवलपर्स (पिता-संजीव रंजन पुष्य) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
पिता-श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद फुलवारी शरीफ
31/03/2022



For Kantyan Developers

Partner